533

संख्याः 388 /XXVI/छः(2)/2009 भाग–1 टी०सी०

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।

2. **समस्त विभागाध्यक्ष ,**
   उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2016

विषय– शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–33/XXVI/छः(2)/2009, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या–90/XXVI/छः(2)/2009 दिनांक 04 मार्च, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण एवं मानकों के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की संस्तुति तथा राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के परामर्श के कम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त गढवाल मण्डल विकास निगम/कुमांऊ मण्डल विकास निगम में कार्यरत अभियन्त्रण अनुभाग को उनकी तकनीकी क्षमता, कार्यप्रभार एवं आवश्यक संशाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत समस्त शासकीय विभागों के धनराशि ₹10 करोड़ की लागत तक के निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रिया एवं मानकानुसार कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था बनाये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

पृ0संख्या: 388 / XXVI / छ:(2) / 2009 भाग–1 टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0, 74/1, राजपुर रोड़, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, कुमांऊ मण्डल विकास निगम लि0, ओक पार्क हाऊस, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0 शाही)
उप सचिव।